निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः प.37 ( )गृरमु/पीएसएएल/2017/5155-5183 दिनांकः 2017

आदेश

विषयः— राज्य में कार्यरत प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों में होम गार्डस के स्वयं सेवकों को नियोजित करने बाबत।

गृह (ग्रुप—7) विभाग,राजस्थान के पत्रांक प.4(16)गृह—7/2014 दिनांक 08.05.2017 के अनुसार राज्य में कार्यरत शहरी,ग्रामीण एवं बोर्डर होम गार्डस के स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों में 25 प्रतिशत होम गार्डस के स्वयं सेवकों को नियोजित किये जाने हेतु परामर्श दिया गया है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके केन्द्र में उपलब्ध समस्त पंजीकृत होम गार्डस स्वयं सेवकों को सरकार के उपरोक्त परामर्श से विभिन्न माध्यमों जैसे सम्पर्क परेड आदि, से अवगत करावें तथा इस प्रयोजनार्थ निम्न कार्य सुनिश्चित करें :—

1. राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के तहत नियोजन हेतु सभी स्वयं सेवकों को सात दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र लिये जाने हेतु प्रोत्साहित करें ताकि उनको प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सीज नियमानुसार नियोजन कर सकें।
2. अपने क्षेत्र में समस्त लाईसेन्स शुदा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों से सम्पर्क स्थापित कर इन स्वयं सेवकों को इन सिक्यूरिटी संस्थाओं में नियोजित किये जाने का प्रयास किया जावें।
3. स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण तथा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों में नियोजन की रिपोर्ट प्रत्येक माह इस मुख्यालय को प्रेषित की जावें।
4. किसी प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी द्वारा स्वयं सेवकों को नियोजित नही किये जाने की दशा में इस एजेन्सी की रिपोर्ट भी इस मुख्यालय को प्रेषित की जावें।
5. स्वयं सेवको को सम्पर्क परेड के दौरान समझाइश की जावे कि इस एक्ट के तहत सिक्युरिटी गार्ड के तौर पर नियोजित होने पर व्यवहार शालीन व सद्भावना पूर्ण होना आवश्यक है साथ ही अनुशासन बनाये रखना जिसमें उच्च कोटि गणवेश धारण करना, समय की पाबंदी व उचित आचरण बनाये रखना अति आवश्यक होगा क्योकि प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सीज तभी नियोजित करेगी जब आपका कार्य उच्च कोटि का होगा। उक्त कार्य न करने पर विभाग की छवि धूमिल हो सकती है तथा भविष्य में इनके प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सीज में नियोजन में भी कठिनाई आ सकती है।

उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(पंकज महर्षि)
उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. सीनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर।
2. समस्त कमाण्डेन्ट, होम गार्डस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
3. समस्त गण समादेष्टा बोर्डर होम गार्डस,राजस्थान।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल मुख्यालय,जयपुर को विभागीय वैब साईट पर अपलोड हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,

Scanned by CamScanner